

प्रति,

श्री मान कलेक्टर महोदय जी

जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़ ।

विषय :- ईच्छा मृत्यु देने बावत।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेखन है कि मेरा नाम पिंगध्वज कुमार खांडेकर उम्र. 39 वर्ष ग्राम पंचायत हिरी, तह- सारंगढ़ का निवासी हूँ, मैं पेशे से पत्रकार हूँ. जो कि वर्तमान में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़ में जिला कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ।

मेरे शादी को लगभग 13 वर्ष हो चुके हैं, जो की प्रेम विवाह है मेरी पत्नी सांया खांडे, मेरे दो बच्चे पुत्री- आर्यान्ज्वला उम्र 12 वर्ष और पुत्र एडोल्फध्वज उम्र 8 वर्ष है। और मेरा ससुराल ग्राम पंचायत ग्वालीनडीह है ,महोदय जी घटना का विवरण इस प्रकार है कि :- मुझे विगत कई वर्षों से ससुराल पक्ष के द्वारा झूठे-झूठे केशों में फंसा कर मासिक रूप से प्रताणित किया जा रहा है। और मेरे खिलाफ कई बार सारंगढ़ थाने में झूठे शिकायत किया जा चुका है।

वर्तमान घटना यह है कि:- दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को मेरी पत्नी द्वारा लगभग 8:30 रात्रि को मेरे चरित्र पर शंका करते हुए चुड़ी की तोड़ते हुए। मरने जा रही हूँ कहकर हाईवे रोड पर भागी जिसे मैंने समझाया और वापस न आने पर 2-4 थप्पड़ समझाइश के तौर पर मारा गया और घर वापस गया, फिर अगले रात्रि दिनांक 26 अक्टूबर 2025 को रात्रि. 9:00 बजे लगभग घर से अपने समान और बच्चों के समान एवं दोनों बच्चों को लेकर घर से भाग रही थी जिसका विरोध कर बच्चों ने उसके साथ जाने से मना कर दिया।

भागने के पश्चात मेरी पत्नि ग्वालीनडीह के पूर्व सरपंच के घर में रुकी और झूठे आरोप लगाया कि कुल्हाड़ी और हथियार लेकर मेरा पति दूढ़ रहा है। फिर सरपंच के द्वारा मेरे साले प्रवीण मल्होत्रा (बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष सारंगढ़ - बिलाईगढ़) को बुलाया फिर मेरे पत्नि को वहां से निकाल कर सारंगढ़ भेजा गया, इस उपरान्त मेरी पति पत्नि ने किसी अन्य के मोबाईल से मेरे ससुर फिरत राम मनहर से बात किया गया और मेरे साढ़ू भाई राकेश बघेल के घर पर मेरे पत्नि को मेरे सास श्याम बाई और मेरी साली दीपक बघेल पेड़ावन सरसिवा में रखा गया मेरे द्वारा तीन बार मेरे बच्चों सहित अपनी पत्नी को लाने के लिए पेड़ावन सरसिवा गया लेकिन उनके द्वारा नहीं भेजा गया।

मैं जब भी अपनी पति को लेने जाता था, मेरी साली दीपक बघेल द्वारा यह कहकर मुझे भगा दिया जाता था कि तुम यहां से चले जाओ तुम्हारे पास तलाक का पेपर पहुंच जायेगा और उसके द्वारा धमकी दिया जाता था कि चले जाओ नहीं तो, मैं तुम्हे झूठे केश में फंसा कर थाने में बंद करा दूंगी

चूंकि स्थिति यह है कि मेरे पत्नि सांया खांडे के द्वारा अपने मायके पक्ष और सादू पक्ष के संरक्षण में रहकर वर्तमान जिला पुलिस अधिक्षक जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पास झूठे झूठे आरोप लगाकर शिकायत किया गया है। जिसके विवेचना सारंगढ़ थाने में चल रही है मेरी पत्नि और मेरे साली के द्वारा दिनांक 10 नवंबर 2025 को झूठे बयान देकर मुझे जलिल किया गया और मान सम्मान को बहुत ही ठेस पहुंचाया गया जिससे मैं क्षुब्ध होकर जीना नहीं चाहता हूं। इतना करके भी उनका मन नहीं भरा उन्होंने मेरे दोनों बच्चों को जो की ग्राम पंचायत ग्वालनिडीह के अभिषेक पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं मेरे संज्ञान में आए बगैर उन्हें वहां से लाने का प्रयास किया गया।

पता श्रीमान जी से अनुरोध है कि:- मेरे पत्नि सांया खांडे, ससुराल पक्ष- में साला प्रवीण मल्होत्रा (BSP जिला अध्यक्ष सारंगढ़-बिलाईगढ़), ससुर - फिरत राम मनहर, सास- श्याम बाई मनहर, सादू - राकेश बघेल, साली. दीपक बघेल के द्वारा मुझे मानसिक रूप से प्रताणित किया जा रहा है। इनके ऊपर तत्काल संवैधानिक कार्यवाही करे एवं सात दिवस के भीतर मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान करने की कृपा करे, अपितु मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान नहीं किए जाने पर मैं स्वयं ही सात दिवस के पश्चात् आत्म हत्या करने के पर मजबूर रहूंगा।

जिसकी जवाबदारी मेरी पत्नि, मेरे ससुराल पक्ष, सादू पक्ष एवं शासन प्रशासन रहेंगे।

दिनांक- 10-11-2025


आवेदक

नाम पिंगध्वज कुमार

ग्राम हिरी तह.- सारंगढ़

जिला, सारंगढ़-बिलाईगढ़

mo-8103123246.

प्रतिलिपि :-

1. महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सादर सुचनार्थ
2. महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ को सादर सुचनार्थ
3. पुलिस अधिक्षक जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ की सादर सुचनार्थ

